an>

title: Need to frame a land-policy to enable private Institutions and Trusts to set up new schools in Delhi.

श्री महेश गिरी **(**पूर्वी दिल्ली**) :** शिक्षा विकास का आधार है, हमारे समाज की मूलभूत जरूरत है एवं एक मौलिक अधिकार भी है। दिल्ली में शिक्षा की माँग बढ़ती जा रही है परंतु स्कूलों की कमी है। कोई कितने ही लुभावने वादे करे परंतु राजनीतिक दृष्टिकोण रखना जरूरी है और हम अपनी बात में हमेशा संतुलन रखते हैं। दिल्ली की जरूरत सरकारी स्कूल खोलकर और निजी स्कूलों को बढ़ावा देकर ही पूरी की जा सकती है। ऐसे कई स्कूल खोलने के लिए हमें एक सहायक वातावरण बनाना होगा। यह सहायक वातावरण हम तभी दे पायेंगे जब हम यह जानें कि पिछले कई सालों में निजी स्कूल खुलने क्यों बन्द हो गये हैं ? पिछले कई सालों से दिल्ली में निजी स्कूल न खुलने का यह कारण है कि यदि वे दिलली में जमीन चाहते हैं तो मार्किट रेट पर खरीद सकते हैं। अगर डीडीए की संस्थागत जमीन लेना चाहें तो वह भी मार्केट नीलामी में ही ली जा सकती है। जब से ये पॉलिसी बनी है, नये स्कूल नहीं खुल पाये हैं। ऐसे निजी स्कूल में भी न्यूनतम 25 प्रतिशत या उससे अधिक ईडब्ल्यूएस कोटा रखा जा सकता है। आज की तारीख में लैण्ड पॉलिसी को लेकर निजी स्कूल खोलना कठिन है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए एक नीति की जरूरत है, एक सुधार की जरूरत है जिससे एक संस्था ट्रस्ट आदि निजी स्कूल खोल सके, उसका एक प्रावधान बने। दिल्ली में शिक्षा को वाइब्रेंट एवं इकॉनामी को बूमिंग बनाने के लिए इस विषय पर सोचना जरूरी है।